

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पं० 4(1)चिस्वा/2/2015 Part III

जयपुर, दिनांक 14.6.2019

—:आदेश:—

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में किये गये संशोधन अनुसार नियम-24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डॉ. मंजू चंदेल, अजा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन), जन्मतिथि 05.05.1962 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 11.07.2011 को 12 वर्ष ओर अधिक जिसमें कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) के पद पर 6 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 11.07.2011 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप डॉ. चंदेल यथावत पदस्थापित रहेगी।


राज्यपाल की आज्ञा से



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव